फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्यामलाल बनाम गोपाल (वगै०)

किस्म मुकदमा ....प्रा०पत्र 111-128........ नं०........48........ सन् ....2023........

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
3.3.23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.3.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
28.3.23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:37:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 48/23 प्रा०पत्र

1– श्री श्यामलाल S/o श्री घीसू बैरवा निवासी- भगवानपुरा तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री गोपाल S/o श्री ॐकार बैरवा निवासी- भगवानपुरा तहसील- माण्डल (काश्त)
(पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 28-03-23

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ...गवानपुरा......पटवार हल्का भगवानपुरा..........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की ... 5162/1470......कुल किता......01.......रकबा 0.2578 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि ...ण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता ...समें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

...र्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-03-23 ....को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को ... से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ...। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ... न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

...र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा.......पटवार ...नपुरा.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......5162/1470..................... ......01..................रकबा 0.2578.......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये ...थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा ...0/-रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर ... की मौजुदगी में मौके व कब्जे ...ति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मान ... की जावें। फसल खडी होने पर ...हीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

...तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की ...जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी